

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/64/2018

दर्ज दिनांक:-27.06.2018

1. चन्द्रवती पता-प्रार्थी
बनाम
2. ओमप्रकाश पता-अप्रार्थीगण

उपस्थित:
जितेन्द्र कुमार कर्दम

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-04.10.2019

वकील वादिया उपस्थित/ प्रतिवादी को तलवी हेतु को कई बार आवाज दिये जा चुके है। दिनांक 05.04.2019 व 02.08.2019 को तलवी के अभाव में दावा अपालना में खारिज किये जाने की चेतावनी के बाबजूद भी तलवी न कराने से प्रतीत होता है कि वादिया अपने दावा के प्रति सजग नहीं है। अतः दावा वादिया ओ 09 नियम 5 सीपीसी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द. हो।

सत्यमेव जयते

संजय गोयल, आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

Web Copy - Not Official